डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13 (अ)] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 जनवरी 2001—माघ 3, शक 1922

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110001

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2001,— 2 मांघ , 1922 (शक)

विषय :—छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन-निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण.

आदेश

क्रमांक 23/2001-योजना-11.—यत: आयोग ने 19 जनवरी, 2001 को 24—मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा के उप-निर्वाचन के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है; और

2. यत: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 (2) (क) (II) के अनुसार निर्वाचक नामावलियां जब तक कि अन्यथा निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश न दिया गया हो जिसका कारण लिखित रूप से अभिलिखित किए जायेंगे, निर्वाचन आयोग अन्यथा निदेश दे, निर्वाचन-क्षेत्र को आवंटित स्थान में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए प्रत्येक उप-निर्वाचन से पूर्व अर्हता की तारीख के सदंर्भ में, निर्धारित रीति से पुनरीक्षित की जायेंगी;और

3. यत: निर्वाचक नामावली की तैयारी या उसके पुनरीक्षण का अर्थ उस वर्ष की जनवरी का पहला दिन है, जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 14 (ख) के अनुसार इस प्रकार इसकी तैयारी और पुनरीक्षण किया जायेगा; और

4. यत: भारत सरकार के राजपत्र, भाग-ii, खण्ड 3 के उपखण्ड (ii), तारीख 14 सितम्बर, 2000 के असाधारण अंक सं. 601 में प्रकाशित तारीख 14 सितम्बर, 2000 के क्र. गृह 827 (अ) द्वारा संघ सरकार के गृह मंत्रालय ने "मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28)" के उपबन्धों के अधीन नवम्बर, 2000 का पहला दिन, नए छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के लिए दिन के रूप में नियत किया था ; और

5. यत: छत्तीसगढ़ राज्य में 10 जनवरी, 2001 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है ; और

6. यत:, छत्तीसगढ़ राज्य में उप-निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व 1 जनवरी, 2001 की अर्हता की तारीख के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का आदेश देने के लिए समय बहुत कम है ; और

7. अत: अब, आयोग उक्त वर्णित कारणों से, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 (2) (क) (ii) के अधीन एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से छत्तीसगढ़ विधान सभा का उप-निर्वाचन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 (2) के परन्तुक के संबंध में 1 जनवरी, 2000 को अर्हता की तारीख के संदर्भ में मध्यप्रदेश राज्य के भाग के रूप में पुनरीक्षित विद्यमान निर्वाचक नामावलियों के आधार पर कराया जाएगा.

भारत निर्वाचन आयोग के आदेश से और नाम से
सही/-
(एस. मेंहदीरत्ता)
प्रधान सचिव-एवं-निदेशक (सूचना तंत्र)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110001

New Delhi,Dated 22nd January 2001,—2 Magha, 1922 (Saka)

Subject :—Bye-election to State Legislative Assembly of Chhattisgarh-Revision of electoral roll.

ORDER

Whereas, the Commission has since announced the programme of bye-election to the Chhattisgarh State Legislative Assembly from 24-Marwahi (ST) assembly consituency on 19th January, 2001 and

2. Whereas according to Section 21 (2) (a) (ii) of the Representation of the People Act, 1950, the electoral rolls, unless otherwise directed by the Election Commission for the reasons to be recorded in writing, be revised in the prescribed manner by reference to the qualifying date before each bye-election to fill a casual vacancy in a seat allotted to the constituency; and

3. Whereas, the qualifying date in relation to the preparation or revision of electoral roll means the 1st day of the January of the year in which it is so prepared or revised as per Section 14 (b) of the Representation of the People Act., 1950; and

4. Whereas, the Union Government in the Ministry of Home Affairs, vide S. O. 827 (A) dated 14th September, 2000 published in the Extraordinay issue No. 601 of the Government of India Gazette, Part-II-Section 3-Sub-section (ii) dated 14th September, 2000 appointed the 1st day of November, 2000 as the day for formation of the new State of Chhattisgarh under the provisions of "The Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (28 of 2000)"; and

5. Whereas, the Chief Electoral Officer in the State of Chhattisgarh has been appointed on 10th January, 2001; and

6. Whereas, there is very little time to order revision of electoral rolls with reference to 1st January, 2001, in the State of Chhattisgarh before the commencement of the process of bye-election; and

7. Now, therefore, the Commission, for the aforesaid reasons, hereby directs under section 21 (2) (a) (ii) of the Representation of the People Act, 1950 that the bye-election to the Chhattisgarh Legislative Assembly from 24-Marwahi (ST) assembly constituency shall be conducted on the basis of the existing electoral rolls revised with reference to 1st January, 2000 as the qualifying date, as part of the State of Madhya Pradesh, having regard to the proviso to section 21 (2) of the Representation of the People Act, 1950.

By order and in the name of the Election Commission of India,
Sd./-
(S. MEHNDIRATTA)
Principal Secretary-Cum-Director (IS)

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.